

**एक नफर वांछित अभियुक्त एक अदद चाकू नाजायज सहित गिरफ्तार :-** थाना मसूरी टीम द्वारा दि० 12.10.2020 को समय मुखबिर की सूचना पर मु०अ०सं० 545/20 धारा 307 भादवि से सम्बन्धित 1 नफर अभियुक्त गुड्डू उर्फ अफसर पुत्र फईमुद्दीन नि० ग्राम कल्लूगढी थाना मसूरी गाजियाबाद को घटना में प्रयुक्त एक अदद चाकू/छुरी नाजायज सहित गिरफ्तार किया गया। अभियुक्त के विरुद्ध थाना हाजा पर मु०अ०सं० 547/20 धारा 4/25 ए.एक्ट पंजीकृत किया गया।

**अपराध करने का तरीका -**अभियुक्त गुड्डू उर्फ अफसर उपरोक्त ने अपने साथी के साथ मिलकर दिनांक 12.10.2020 को मु०अ०सं० 545/20 धारा 307 भादवि से सम्बन्धित वादी श्री शेर मौहम्मद पुत्र फतेह मौहम्मद नि० ग्राम कल्लूगढी थाना मसूरी गाजियाबाद के बेटे जिया उल हक को जान से मारने की नियत से चाकू से हमला किया था। जिसके सम्बन्ध में दिनांक 12.10.2020 को मु०अ०सं० 545/20 धारा 307 भादवि पंजीकृत किया गया था। दिनांक 12.10.2020 को मुखबिर की सूचना पर अभियुक्त गुड्डू उर्फ अफसर उपरोक्त को घटना में प्रयुक्त एक अदद चाकू/छुरी नाजायज सहित समय करीब 23.30 बजे कल्लूगढी कट गैस एजेन्सी के पास से गिरफ्तार किया गया। जिसके सम्बन्ध में थाना मसूरी पर मु०अ०सं० 547/20 धारा 4/25 ए.एक्ट पंजीकृत किया गया।

#### **नाम पता अभियुक्त -**

(1) गुड्डू उर्फ अफसर पुत्र फईमुद्दीन नि० ग्राम कल्लूगढी थाना मसूरी गाजियाबाद

#### **बरामदगी का विवरण:-**

1. घटना में प्रयुक्त एक अदद चाकू छुरी नाजायज/

#### **पंजीकृत अभियोग-**

1. मु/547 0स०अ०2020 धारा4 / एक्ट थाना मसूरी जनपद गाजियाबाद.ए 25



**एक नफर शातिर वांछित अभियुक्त गिरफ्तार :-** थाना मसूरी टीम द्वारा दिनांक 12.10.2020 को मु०अ०सं० 443/20 धारा 147/148/149/323/307/504/506 भादवि व 7 सीएलए एक्ट से सम्बन्धित 1 नफर वांछित अभियुक्त शौकीन पुत्र मुस्ताक निवासी ग्राम मसूरी थाना मसूरी जिला गाजियाबाद को ग्राम कल्लूगढी से गिरफ्तार किया गया।

**अपराध करने का तरीका -**अभियुक्त शौकीन पुत्र मुस्ताक उपरोक्त व अन्य अभियुक्त गणों ने दिनांक 16.08.2020 को अपने- अपने हाथों में लिये पिस्टल व तमंचों से एक दूसरे पक्ष को जान से मारने की नियत से फायरिंग कर रहे थे तथा आपस में ईंट पत्थर मार रहे थे जिससे बाजार में अफरा तफरी का माहौल पैदा हो गया था व दुकानदारों द्वारा अपनी- अपनी दुकानें बन्द कर ली गयी थी। अभियुक्त गण मौके से एक-दूसरे को गलियों देते हुये भाग गये थे। जिसे सम्बन्ध में उ०नि० श्री नरेश सिंह द्वारा दिनांक 16.08.2020 को थाना हाजा पर मु०अ०सं० 443/20 धारा 147,148,149,323,307,504,506 भादवि व 7 सीएलए एक्ट बनाम शौकीन आदि 17 नफर के विरुद्ध पंजीकृत कराया गया था। दिनांक 12.10.2020 को अभियुक्त शौकीन पुत्र मुस्ताक उपरोक्त को समय करीब 21.10 बजे ग्राम कल्लूगढी से गिरफ्तार किया गया।

#### **नाम पता अभियुक्त -**

(1) शौकीन पुत्र मुस्ताक निवासी ग्राम मसूरी थाना मसूरी जिला गाजियाबाद

#### **पंजीकृत अभियोग-**

1. मु0अ0स0 443/2020 धारा धारा 147,148,149,323,307,504,506 भादवि व 7 सीएलए एक्ट थाना मसूरी जनपद गाजियाबाद



**थाना विजयनगर पुलिस द्वारा लूट की योजना बनाते हुए 02 अभियुक्तों को मय 01-01 अदद चाकू के गिरफ्तार** -थाना

विजयनगर पुलिस को शातिर अपराधियों के विरुद्ध चलाए जा रहे अभियान के दौरान उस समय महत्वपूर्ण सफलता प्राप्त हुई जब थाना विजयनगर प्रभारी निरीक्षक के नेतृत्व में पुलिस पार्टी द्वारा दिनांक 13/10/20 को चैकिंग के दौरान दो शातिर अभियुक्तगण 1. सौरभ 2. गोपाल को लूट/चोरी की योजना बनाते हुए थाना क्षेत्र विजयनगर से गिरफ्तार किया गया। जिनके कब्जे से 01-01 अदद चाकू नाजायज बरामद किया गया।

**नाम पता गिरफ्तार अभियुक्त**

- 1- सौरभ पुत्र बसन्तलाल निवासी मूल पता ग्राम दरियागंज थाना पटियाली जिला कासगंज हाल ग्राम छिजारसी थाना फेस- 2 गौतमबुद्ध नगर
- 2- गोपाल S/O विजयपाल निवासी साईं मन्दिर के पास इन्द्रापुरम थाना इन्द्रापुरम गाजियाबाद

**पंजीकृत अभियोग का विवरण**

सौरभ पुत्र बसन्तलाल निवासी मूल पता ग्राम दरियागंज थाना पटियाली जिला कासगंज हाल ग्राम छिजारसी थाना फेस- 2 गौतमबुद्ध नगर

- 1- मु1338 .स.अ./20 धारा 398, 401IPC थाना विजय नगर गाजियाबाद
- 2- मु1339 .स.अ./20 धारा 4/ 25A.ACT थाना विजय नगर गाजियाबाद

गोपाल S/O विजयपाल निवासी साईं मन्दिर के पास इन्द्रापुरम थाना इन्द्रापुरम गाजियाबाद

- 1- मु1338 .स.अ./20 धारा 398, 401IPC थाना विजय नगर गाजियाबाद
- 2- मु1340 .स.अ./20 धारा 4/ 25A.ACT थाना विजय नगर गाजियाबाद

**बरामदगी का विवरण**

1. अभियुक्त सौरभ से एक अदद चाकू 2. अभि0 गोपाल से एक अदद चाकू



**थाना विजयनगर पुलिस द्वारा 7 किलो 100 ग्राम गांजा के साथ दो शातिर गांजा तस्कर गिरफ्तार :- थाना विजयनगर पुलिस**

को शातिर मादक पदार्थों तस्करों के विरुद्ध चलाए जा रहे अभियान के दौरान उस समय महत्वपूर्ण सफलता प्राप्त हुई जब थाना विजयनगर प्रभारी निरीक्षक के नेतृत्व में पुलिस पार्टी द्वारा दिनांक 13/10/2020 को चेकिंग के दौरान दो शातिर अभियुक्तगण 1.शाहबुद्दीन 2. इरशाद को 7 किलो 100 ग्राम नाजायज गांजा के साथ पानी की टंकी के पास चौकी बाईपास थाना क्षेत्र विजयनगर से गिरफ्तार किया गया।

**नाम पता गिरफ्तार अभियुक्त**

- 1- शाहबुद्दीन उर्फ काली पुत्र समशुद्दीन निवासी म0नं0 642, लाल क्वाटर सुदामापुरी विजयनगर गाजियाबाद
- 2- इरशाद पुत्र शमशाद निवासी म0नं0 386 लाल क्वाटर सुदामापुरी थाना विजयनगर गाजियाबाद

**पंजीकृत अभियोग का विवरण**

- 1- मु.अ.स. 1341/20 धारा 8/20 NDPS Act. थाना विजय नगर गाजियाबाद बनाम शाहबुद्दीन
- 2- मु.अ.स. 1342/20 धारा 8/20 NDPS Act. थाना विजय नगर गाजियाबाद बनाम इरशाद

**बरामदगी का विवरण**

- 1- 05 किलो 900 ग्राम गांजा अभि0 शाहबुद्दीन से सम्ब0 मु.अ.स. 1341/20
- 2- 01 किलो इरशाद 200 ग्राम गांजा अभि0 इरशाद से सम्ब0 मु.अ.स. 1342/20



**थाना कविनगर पुलिस द्वारा चोरी के ऑटो काटकर पार्टस बदलकर दूसरे ऑटो में लगाने वाले 04 शातिर अभियुक्त गण गिरफ्तार :- थाना कविनगर पुलिस**

टीम द्वारा दिनांक 12.10.20 को समय 23.55 बजे पर गुलधर 2 निकट परिवर्तन हाउस थाना कविनगर क्षेत्र से चोरी के ऑटो को काटकर उनके पार्टस को दूसरे ऑटो में फिट करने वाले चार शातिर अभियुक्त गण (1) दानिश पुत्र अलाउद्दीन निवासी इस्लामनगर हाजी खलील की डेरी केला भट्टा थाना कोतवाली गाजियाबाद (2) इकबाल पुत्र इंदानी निवासी विरवा थाना हरिश्चन्द्रपुर जिला मालदा प0बंगाल (3) संतोष पुत्र राजकुमार पाण्डेय निवासी पीपल वाली गली सै0 23 संजयनगर थाना कविनगर गाजियाबाद (4) पवन पाण्डेय पुत्र धर्मेन्द्र पाण्डेय निवासी उपरोक्त मय चोरी के ऑटो के इन्जन व पार्टस व ऑटो के इन्जन व पार्टस काटने के उपकरण सहित गिरफ्तार किया गया अभियुक्त गण के विरुद्ध थाना कविनगर पर मु0अ0सं0 1434/20 धारा 411/413/414/420/34 भादवि पंजीकृत कर अभियुक्त गण को जेल भेजा जा रहा है।

**अपराध कारित करने का तरीका:-** अभियुक्त शातिर किस्म के अपराधी हैं जो चोरी के ऑटो को सस्ते दामों में खरीद कर ऑटो को काटकर उनके पार्टस निकालकर रिपेयर हेतु आये हुए दूसरे ऑटो में लगाकर अच्छा मुनाफा कमाते हैं।

**नाम पता गिरफ्तार अभियुक्त -**

- (1) दानिश पुत्र अलाउद्दीन निवासी इस्लामनगर हाजी खलील की डेरी केला भट्टा थाना कोतवाली गाजियाबाद
- (2) इकबाल पुत्र इंदानी निवासी विरवा थाना हरिश्चन्द्रपुर जिला मालदा प0बंगाल
- (3) संतोष पुत्र राजकुमार पाण्डेय निवासी पीपल वाली गली सै0 23 संजयनगर थाना कविनगर गाजियाबाद
- (4) पवन पाण्डेय पुत्र धर्मेन्द्र पाण्डेय निवासी उपरोक्त

**बरामदगी का विवरण -**

- (1) दो आटो इजन 1. AAMBRD37952 2. AFNE33482,
- (2) दो चेचिस आटो के 1.MD2AAAFZZRW13500 2. MD2AAAFZZSWK31594,
- (3) दो ऑर्गन सिलेण्डर,
- (4) चार CNG सिलेण्डर,
- (5) एक LPG इण्डेन सिलेण्डर,
- (6) एक गैस कटर गन,

(7) 05 अदद नम्बर प्लेट 1-UP14BT4625, 2-UP14BT8723, 3-UP14BT2985, 4-UP14BT6764, 5. UP14AT5058,  
(8) एक अदद आटो रजि0 न0 UP14BT2546 चेचिस नं0 MDZAAAFZZ-H25114 इंजन नं0 स्पष्ट नहीं

**पंजीकृत अभियोग का विवरण:-**

1- मु1434 0सं0अ0/411 धारा 20/413/414/420/ 34भादवि थाना कविनगर गाजियाबाद । अभियुक्त गण के अन्य आपराधिक इतिहास की जानकारी की जा रही है ।



**थाना लोनी क्षेत्र में नशीला पाउडर एल्प्राजोलम की तस्करी करने वाले दो अभियुक्त गिरफ्तार:-** थाना लोनी पुलिस द्वारा दो अभियुक्तगण को 300 ग्राम ( 150 ग्राम व 150 ग्राम) एल्प्राजोलम नशीला पाउडर के साथ निठौरा रोड से लगभग 30 कदम बिजलीघर की तरफ चौकी अशोक बिहार दिनांक 12.10.2020 समय 22.50 बजे गिरफ्तार किया गया ।

कड़ाई से पूछताछ करने पर पकड़े गये अभियुक्त गण ने बताया कि साहब हम यह नशीला पाउडर पुड़िया बनाकर बेचते हैं । जिससे हम मुनाफा कमाकर अपना खर्चा चलाते हैं। अभी हम यह नशीला पाउडर लेकर बेचने जा रहे थे कि तभी आपने पकड़ लिया । अभियुक्त गण का यह जुर्म धारा 8/21 एनडीपीएस एक्ट की हद को पहुंचता है ।

**अपराध कारित करने का तरीका ( MODOUS OPERANDY)-**

उपरोक्त प्रकरण में अभियुक्त गण ने पूछने पर बताया कि हम थाना लोनी क्षेत्र में एल्प्राजोलम नशीला पाउडर की पुड़िया बनाकर बेचते हैं । जिससे हमारा खर्च चल जाता है ।

**नाम पता गिरफ्तार अभियुक्त गण -**

- 1-वाजिद S/O शौकत R/O आशियाना सिटी अशोक विहार PS लोनी गा0बाद
- 2-अलीशेर S/O गुलशेर R/O इकबाल के स्कूल के पास इकरामनगर PS लोनी गा0बाद

**अभियुक्त वाजिद के विरुद्ध पंजीकृत अभियोगों का विवरण:-**

1.मु0अ0सं0-853/2020 धारा 8/21 NDPS Act थाना लोनी गा0बाद

**अभियुक्त अलीशेर के विरुद्ध पंजीकृत अभियोगों का विवरण:-**

1.मु0अ0सं0-854/2020 धारा 8/21 NDPS Act थाना लोनी गा0बाद

**बरामदगी का विवरण:-**

1. 150 ग्राम व 150 ग्राम (कुल 300 ग्राम ) नशीला पाउडर एल्प्राजोलम नाजायज बरामद



**एनसीआर क्षेत्र में शराब व गांजा तस्करी करने वाले के दो शातिर अभियुक्त गिरफ्तार, अवैध शराब व गांजा बरामद:-** थाना इन्दिरापुरम पुलिस को उस समय महत्वपूर्ण सफलता प्राप्त हुई जब थाना इन्दिरापुरम पुलिस मुखबिर की सूचना पर दिनांक 13.10.2020 को चैकिंग के दौरान खोडा अंडर पास व साई मन्दिर के मध्य अभियुक्त संजय को अवैध एक किलो 200 ग्राम गांजा सहित व गुरुद्वारे के ठीक पीछे से अभियुक्त रमन को अवैध 44 पच्चे सहित गिरफ्तार किया गया।

**नाम पता गिरफ्तार अभियुक्त-**

1- संजय पुत्र प्रेमशंकर निवासी ग्राम उम्मेदपुर थाना रजपुरा जनपद सम्भल हाल निवासी खोडा कालोनी थाना खोडा जनपद गाजियाबाद - गांजा तस्कर

2- रमन पुत्र विनोद कुमार निवासी किरायेदार सोनी का मकान गली न0-3 प्रहलाद गढी गाजियाबाद

-शराब तस्कर

**अभियुक्त से बरामदगी का विवरण-**

1- 01 किलो 200 ग्राम गांजा

2- 44 पच्चे शराब

**अभियुक्त का अपराधिक इतिहास-**

क0स0	मु0अ0स0	धारा	थाना	जनपद
1	1743 / 2020	60 / 63 आबकारी अधिनियम बनाम- रमन	इंदिरापुरम	गा0बाद
2	1744 / 2020	8 / 20 एनडीपीएस एक्ट बनाम- संजय	इंदिरापुरम	गा0बाद

**थाना लोनी क्षेत्र में नशीला पाउडर एल्प्राजोलम की तस्करी करने वाला अभियुक्त गिरफ्तार:-** थाना लोनी पुलिस द्वारा एक अभियुक्त को 110 ग्राम एल्प्राजोलम नशीला पाउडर के साथ संत नगर तिराहे के पास चौकी डीएलएफ से दिनांक 13.10.2020 समय 10.30 बजे गिरफ्तार किया गया।

कड़ाई से पूछताछ करने पर पकड़े गये अभियुक्त ने बताया कि साहब मैं यह नशीला पाउडर की पुड़िया बनाकर बेचता हूँ। जिससे मुनाफा कमाकर अपना खर्चा चलाता हूँ। अभी मैं यह नशीला पाउडर लेकर बेचने जा रहा था कि तभी आपने पकड लिया। अभियुक्त का यह जुर्म धारा 8/22 एनडीपीएस एक्ट की हद को पहुंचता है।

**अपराध कारित करने का तरीका ( MODOUS OPERANDY)-**

उपरोक्त प्रकरण में अभियुक्त ने पूछने पर बताया कि मैं थाना लोनी क्षेत्र में एल्प्राजोलम नशीला पाउडर की पुडिया बनाकर बेचता हूँ। जिससे मेरा खर्चा चल जाता है।

**नाम पता गिरफ्तार अभि0 -**

मौ0 मौसीन S/O मौ0 निजाम उर्फ निजामुद्दीन R/O बुध बाजार, नसबंदी कालोनी थाना लोनी गा0बाद

**अभियुक्त मौ0 मौसीन के विरुद्ध पंजीकृत अभियोगों का विवरण:-**

1. मु0अ0स0-856/2020 धारा 8/22 NDPS Act थाना लोनी गा0बाद

**बरामदगी का विवरण:-**

1. कुल 110 ग्राम नशीला पाउडर एल्प्राजोलम नाजायज बरामद



## थाना साहिबाबाद पुलिस द्वारा 02 अभियुक्त गिरफ्तार कब्जे से 220 ग्राम नाजायज नशीला

**पाउडर अल्प्राजोलम बरामद:-** थाना साहिबाबाद टीम द्वारा दिनांक: 12.10.2020 को समय 23.40 बजे कृष्णा जूस कार्नर शालीमार गार्डन थाना साहिबाबाद गाजियाबाद से अवैध नशे के कारोबार में लिप्त अभिगण 1. संजय राजपूत पुत्र अनिल राजपूत नि0 शान्ति समिति कुष्ठ आश्रम ताहिरपुर थाना नन्द नगरी दिल्ली 2. रमजान पुत्र फकरुद्दीन नि0 ई 283 डिपो के सामने सीमापुरी थाना

दिलशाद गार्डन दिल्ली को कुल 220 ग्राम नाजायज नशीले पाउडर अल्प्राजोलम के साथ गिरफ्तार किया गया है।

### अपराध कारित करने का तरीका:-

अभिगण द्वारा पूछताछ में बताया कि वह अपने व अपने परिवार के भरण पोषण हेतु नशा करने वाले लोगों को अवैध नशीला पाउडर अल्प्राजोलम को बोर्डर के आस-पास के क्षेत्र में बिक्री करते हैं।

### नाम पता गिरफ्तार अभियुक्त:-


1. संजय राजपूत पुत्र अनिल राजपूत नि0 शान्ति समिति कुष्ठ आश्रम ताहिरपुर थाना नन्द नगरी दिल्ली उम्र 25 वर्ष
2. रमजान पुत्र फकरुद्दीन नि0 ई 283 डिपो के सामने सीमापुरी थाना दिलशाद गार्डन दिल्ली उम्र 19 वर्ष

### पंजीकृत अभियोगो का विवरण:-

1. मु0अ0सं0 1195/2020 धारा 8/21 एनडीपीएस एक्ट बनाम संजय राजपूत उपरोक्त थाना साहिबाबाद गाजियाबाद।
2. मु0अ0सं0 1196/2020 धारा 8/21 एनडीपीएस एक्ट बनाम रमजान उपरोक्त थाना साहिबाबाद गाजियाबाद।

### बरामदगी का विवरण:-

1. कुल 220 ग्राम नाजायज नशीला पाउडर अल्प्राजोलम



## थाना साहिबाबाद पुलिस द्वारा 02 अभियुक्त गिरफ्तार कब्जे से एक अपाचे मो0सा0 DL 5S AS 5909 चोरी की संबंधित

**मु0अ0सं0 1187/20 धारा 379 भादवि थाना साहिबाबाद गाजियाबाद बरामद :-** थाना साहिबाबाद टीम द्वारा दिनांक: 13.10.2020 को समय 11.00 बजे डीएलएफ ताहिरपुर तिराहा थाना साहिबाबाद गाजियाबाद से मो0सा0 चोरी करने वाले अभिगण 1. यूसुफ पुत्र सलाउद्दीन नि0 सुभाष पैलेस के पास तिकोना पार्क के पास गली न0 1 राजीव नगर डीएलएफ थाना साहिबाबाद गाजियाबाद उम्र 18 वर्ष 2. साहिल पुत्र नन्ना नि0 खरसी कालोनी सरफराज का मकान किरायेदार राजीव नगर थाना साहिबाबाद जनपद गाजियाबाद उम्र 18 वर्ष को मय एक अपाची मो0सा0 चोरी की संबंधित मु0अ0सं0 1187/20 धारा 379 भादवि थाना साहिबाबाद गाजियाबाद सहित साथ गिरफ्तार किया गया है।

### नाम पता गिरफ्तार अभियुक्त:-

1. यूसुफ पुत्र सलाउद्दीन नि0 सुभाष पैलेस के पास तिकोना पार्क के पास गली न0 1 राजीव नगर डीएलएफ थाना साहिबाबाद गाजियाबाद उम्र 18 वर्ष

2. साहिल पुत्र नन्ना नि0 खस्सी कालोनी सरफराज का मकान किरायेदार राजीव नगर थाना साहिबाबाद जनपद गाजियाबाद उम्र 18 वर्ष

#### पंजीकृत अभियोगो का विवरण:-

1. मु0अ0सं0 1187/2020 धारा 379 भादवि बनाम युसुफ व साहिल उपरोक्त

#### गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम:-

1. प्र0नि0 विष्णु कौषिक थाना साहिबाबाद गाजियाबाद
2. है0का0 अरुण कुमार थाना साहिबाबाद गाजियाबाद
3. का0 124 इंद्रजीत सिंह थाना साहिबाबाद गाजियाबाद
4. का0 2461 सुनील कुमार थाना साहिबाबाद गाजियाबाद

#### बरामदगी का विवरण:-

एक अपाचे मो0सा0 डीएल 5 एस ए एस 5909 चोरी की संबंधित मु0अ0सं0 1187/20 धारा 379 भादवि



**थाना निवाडी द्वारा 02 अभियुक्त गिरफ्तार :-** श्रीमान वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक श्री कलानिधि नैथानी महोदय द्वारा चैकिंग सदिग्ध वाहन एवं वांछित अभियुक्तगण के विरुद्ध चलाये जा रहे अभियान के क्रम में श्रीमान पुलिस अधीक्षक ग्रामीण श्री नीरज कुमार जादौन महोदय के निर्देशन एवं श्रीमान क्षेत्राधिकारी मोदीनगर श्री सुनील कुमार सिंह के सफल पर्यवेक्षण में प्रभारी निरीक्षक श्री महेन्द्र सिंह के कुशल नेतृत्व में उ0नि0 श्री विपिन कुमार, है0का0 676 इसरार अली द्वारा दिनांक 13. 10.2020 को समय 00:18 बजे सारा गाँव के पास सरकारी हैण्ड पम्प के पास दौराने चैकिंग अभियुक्तगण 1-बाबर पुत्र नसीर निवासी गढी फरीदनगर थाना भोजपुर जनपद गाजियाबाद, 2-यामीन पुत्र अली अहमद निवासी मौहल्ला तेलियान कस्बा फरीदनगर थाना भोजपुर जनपद गाजियाबाद के कब्जे से एक मोटर साईकिल रंग काला स्पलेण्डर जिसकी नम्बर प्लेट पर अंकित नम्बर HR-26CH 6258 वास्तविक पंजीकरण नम्बर DL 5SAY 4509 चैसिस नं0 MBLHA10CGHHA63944 इन्जन नं0 HA10ERHHA63695 बरामद की गयी है। अभियुक्तगण से एक-एक अदद छुरी नाजायज व थाना हाजा के मु0अ0सं0-205/ 2020 धारा 3/5/8 गौवध अधिनियम एवं मु0अ0सं0-284/2020 धारा 3/5/8 गौवध अधिनियम से सम्बन्धित 02 रस्सी प्लास्टिक, 01 कुल्हाडी, बरामद किये गये। बरामद मोटर साईकिल जो सीमापुरी दिल्ली से चोरी की गयी थी व बरामद छुरी के सम्बन्ध में अभियुक्तगण के विरुद्ध थाना हाजा पर मु0अ0सं0-297/2020 धारा 482/414 भादवि व मु0अ0सं0-298/2020 धारा 4/25 आयुद्ध अधिनियम, व मु0अ0सं0-299/2020 धारा 4/25 आयुद्ध अधिनियम पंजीकृत किये गये।

#### अपराध करने का तरीका:-

अभियुक्तगण द्वारा अवैध शस्त्र का प्रयोग कर मोटर साईकिल चोरी करना, तथा मोटर साईकिल को नम्बर प्लेट बदलकर प्रयोग में लाना तथा अभियुक्तगण द्वारा बरामदा रस्सी व

कुल्हाडी छुरी के बारे में पूछने पर बताया कि हम घुमन्तु गायों को सुनसान जगह पर पकड़ कर उनका वध कर देते हैं तथा गौवंश को मुनाफा कमाने के लिए बेच देते हैं।

#### नाम पता गिरफ्तार अभियुक्तगण—

- 1—बाबर पुत्र नसीर निवासी गढी फरीदनगर थाना भोजपुर जनपद गाजियाबाद,
- 2—यामीन पुत्र अली अहमद निवासी मौहल्ला तेलियान कस्बा फरीदनगर थाना भोजपुर जनपद गाजियाबाद

#### वांछित अभियुक्तगण—

1—नईम पुत्र हनीफ निवासी कस्बा फरीदनगर थाना भोजपुर जनपद गाजियाबाद (अभियुक्त पूर्व में 25000/—रु० का इनामी भी रह चुका है। अभियुक्त के विरुद्ध थाना रोहटा जनपद मेरठ में मु०अ०सं०—45/2019 धारा 307 भादवि, मु०अ०सं०—46/2019 धारा 3/5/8 गौवध अधिनियम, मु०अ०सं०—47/2019 धारा 25 आयुद्ध अधिनियम के अभियोग भी पंजीकृत हैं।

#### बरामदगी का विवरण:—

- 1—एक मोटर साईकिल रंग काला स्पलेण्डर जिसकी नम्बर प्लेट पर अंकित नम्बर HR-26CH6258 वास्तविक पंजीकरण नम्बर DL-5SAY4509 चैसिस नं० BLHA10CGHHA63944 इन्जन नं० HA10ERHHA63695 बरामद
- 2—अभियुक्तगण से एक-एक अदद छुरी नाजायज

#### पंजीकृत अभियोग का विवरण:—

- 1—मु०अ०सं०—205/2020 धारा 3/5/8 गौवध अधिनियम (बनाम बाबर, यामीन, नईम)
- 2—मु०अ०सं०—284/2020 धारा 3/5/8 गौवध अधिनियम (बनाम बाबर, यामीन, नईम)
- 3—मु०अ०सं०—297/2020 धारा 482/414 भादवि (बनाम बाबर, यामीन, नईम)
- 4—मु०अ०सं०—298/2020 धारा 4/25 आयुद्ध अधिनियम, (बनाम बाबर)
- 5—मु०अ०सं०—299/2020 धारा 4/25 आयुद्ध अधिनियम (बनाम यामीन)
- 6—मु०अ०सं०—45/2019 धारा 307 भादवि, थाना रोहटा मेरठ (बनाम नईम)
- 7—मु०अ०सं०—46/2019 धारा 3/5/8 गौवध अधिनियम, थाना रोहटा मेरठ (बनाम, नईम)
- 8—मु०अ०सं०—47/2019 धारा 25 आयुद्ध अधिनियम थाना रोहटा मेरठ (बनाम नईम)



**अवैध तमन्चा से हर्ष फायर कर सोशल मीडिया पर वायरल करने वाला एक नफर अभि० गिरफ्तार :-** सिहानी गेट पुलिस द्वारा दिनांक 13/10/2020 समय 11.30 बजे को नन्दग्राम कट से चैकिंग के दौरान 1 नफर अभि० अंकित मावी पुत्र श्री अशोक कुमार निवासी म०न० 387/39 गली नं० 7 सेवानगर थाना सि०गेट गा०बाद को एक अवैध तमन्चा सहित गिरफ्तार किया गया।

#### पूछताछ का विवरण -

दिनांक 13/10/2020 को चैकिंग के दौरान थाना सिहानीगेट पुलिस द्वारा मुखबिर खास की सूचना पर नन्दग्राम कट से एक बार दबिश से अभि० अंकित मावी उपरोक्त मय एक अवैध तमन्चा गिरफ्तार किया गिरफ्तार अभियुक्त ने पूछताछ पर बताया कि मैंने वर्क डे पार्टी मे तमन्चा से फायर की थी। गलती हो गयी।

#### गिरफ्तार अभियुक्तगण का नाम पता

अंकित मावी पुत्र श्री अशोक कुमार निवासी म०न० 387/39 गली नं० 7 सेवानगर थाना सि०गेट गा०बाद

#### पंजीकृत अभियोग का विवरण:-

1. मु०अ०सं० 1618/2020 धारा 3/25 आर्म्स एक्ट थाना सिहानीगेट गा०बाद

#### बरामदगी का विवरण:-



1. एक अदद तमन्चा .315 बोर

